

अध्याय 03: मूल अधिकार (Fundamental Rights — अनुच्छेद 12 से 35) — शॉर्ट नोट्स

1. मूल अधिकार — संवैधानिक स्थिति, दार्शनिक आधार एवं प्रकृति	
संवैधानिक आयाम	संवैधानिक स्थिति एवं ऐतिहासिक स्रोत
संवैधानिक अवस्थिति	संविधान के भाग (III) में अनुच्छेद 12 से 35 तक समाहित
ऐतिहासिक प्रेरणा व स्रोत	अमेरिकी संविधान के 'बिल ऑफ राइट्स' (Bill of Rights) से प्रेरित; 'भारत का मैग्नाकार्टा' (Magna Carta)
मूल अधिकारों की संख्या	मूलतः 7 अधिकार थे; 44वें संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति का अधिकार विलोपित होने के बाद वर्तमान में 6 अधिकार
प्रमुख विशेषता	
न्यायोचित प्रकृति	न्यायोचित (Justiciable) — उल्लंघन पर नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय (अनु. 32) या उच्च न्यायालय (अनु. 226) जा सकते हैं
सुरक्षा का दायरा	अधिकांश अधिकार राज्य के मनमाने कृत्यों के विरुद्ध गारंटी हैं; कुछ अधिकार निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी (अनु. 15(2), 17, 23, 24)
असीमित नहीं (मर्यादित)	आत्यंतिक (Absolute) नहीं बल्कि मर्यादित (Qualified) हैं; राज्य इन पर व्यक्तियुक्त निर्बंधन (Reasonable Restrictions) लगा सकता है
निलंबन एवं संशोधन	अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर शेष आपातकाल में निलंबित हो सकते हैं; संसद मूल ढांचे (Basic Structure) को नष्ट किए बिना संशोधन कर सकती है

2. अनुच्छेद 12 (राज्य की परिभाषा) एवं अनुच्छेद 13 (न्यायिक समीक्षा)

'राज्य' के 4 घटक	संवैधानिक विस्तार एवं विधिक निकाय (अनुच्छेद 12)
1. संघ सरकार व संसद	भारत की सरकार (कार्यपालिका) एवं संसद (लोकसभा व राज्यसभा)
2. राज्य सरकार व विधानमंडल	सभी राज्यों की सरकारें (कार्यपालिका) एवं राज्य विधानमंडल (विधानसभा व विधान परिषद)
3. स्थानीय प्राधिकारी	नगर पालिकाएं, जिला बोर्ड, ग्राम पंचायतें, सुधार न्यास (Town Improvement Trusts)
4. अन्य प्राधिकारी (विस्तार)	संवैधानिक व गैर-संवैधानिक सांविधिक निकाय — (LIC), (ONGC), (SAIL), (UGC), बिजली बोर्ड आदि
न्यायपालिका की स्थिति	न्यायिक कार्यों में न्यायपालिका 'राज्य' नहीं है; प्रशासनिक कार्यों में 'राज्य' की परिभाषा के अधीन आती है

सिद्धांत / खंड	संवैधानिक प्रावधान एवं न्यायिक सिद्धांत (अनुच्छेद 13)
अनुच्छेद 13(1) पूर्व विधियां	आच्छादन का सिद्धांत (Doctrine of Eclipse) — संविधान-पूर्व की असंगत विधियां मृत नहीं होतीं, मूल अधिकारों द्वारा ढक ली जाती हैं
अनुच्छेद 13(2) परवर्ती विधियां	पृथक्करणीयता का सिद्धांत (Doctrine of Severability) — मूल अधिकारों के उल्लंघन वाले अंश को अलग किया जा सकता है, संपूर्ण कानून अवैध नहीं
अनुच्छेद 13(3) 'विधि' दायरा	स्थायी विधि (संसद/विधानमंडल), अस्थायी विधि (अध्यादेश), प्रत्यायोजित विधान (आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना), रूढ़ि व प्रथा
संविधान संशोधन बनाम अनु. 13	केशवानंद भारती (1973): अनुच्छेद 368 के तहत किया गया संविधान संशोधन अनु. 13 में 'विधि' नहीं है, किंतु मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं कर सकता
त्याग का सिद्धांत (Waiver)	बहराम बनाम बॉम्बे राज्य (1955): भारत में कोई भी नागरिक अपने मूल अधिकारों का स्वेच्छिक त्याग (Waiver) नहीं कर सकता

3. समता का अधिकार — अनुच्छेद 14 (विधि समक्ष समता)

अवधारणा	स्रोत / उत्पत्ति	संवैधानिक अर्थ एवं न्यायशास्त्र
विधि के समक्ष समता	ब्रिटिश परंपरा (नकारात्मक)	किसी व्यक्ति को विशेष विशेषाधिकार नहीं; सभी व्यक्ति साधारण विधि व न्यायालयों के अधीन (Rule of Law)
विधियों का समान संरक्षण	अमेरिकी परंपरा (सकारात्मक)	समान परिस्थितियों में समान व्यवहार; समान विधियों का समान रूप से लागू होना (Like should be treated alike)
तार्किक वर्गीकरण	अनुच्छेद 14 का अपवाद नहीं	वर्ग विधान (Class Legislation) निषिद्ध, किंतु बोधगम्य भेदक (Intelligible Differentia) पर आधारित वर्गीकरण वैध
मनमानेपन का विरोध	ई.पी. रोयप्पा वाद (1974)	समता एक गतिशील अवधारणा है; समानता और मनमानापन (Arbitrariness) एक-दूसरे के घोर विरोधी हैं

4. समता का अधिकार — अनुच्छेद 15 (भेदभाव निषेध) एवं 16 (अवसर समता)

अनुच्छेद खंड	प्रतिषेध का आधार	संवैधानिक अपवाद एवं विशेष प्रावधान (अनुच्छेद 15)
15(1) व 15(2)	केवल 5 आधार: धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान	दुकानों, भोजनालयों, होटलों, कुओं, तालाबों व सार्वजनिक स्थलों में प्रवेश पर भेदभाव पूर्णतः निषिद्ध
15(3) अपवाद	महिलाओं एवं बालकों हेतु	महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण हेतु राज्य द्वारा विशेष उपबंध करना पूर्णतः वैध
15(4) 1st संशोधन 1951	चंपाकम दोरईराजन वाद (1951)	सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों (SEBC), (SC) एवं (ST) हेतु विशेष प्रावधान
15(5) 93rd संशोधन 2005	उच्च शिक्षण संस्थान प्रवेश	निजी शिक्षण संस्थानों (सहायता प्राप्त व गैर-सहायता प्राप्त) में आरक्षण (अल्पसंख्यक संस्थान अपवाद)
15(6) 103rd संशोधन 2019	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	नागरिकों के (EWS) हेतु शिक्षण संस्थानों में अधिकतम 10% आरक्षण (जनहित अभियान वाद 2022 वैध)

अनुच्छेद खंड	लोक नियोजन विषय	संवैधानिक उपबंध एवं आरक्षण व्यवस्था (अनुच्छेद 16)
16(1) व 16(2)	अवसर की समता (7 आधार)	धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, उद्भव (Descent) या निवास आधार पर सरकारी सेवाओं में भेदभाव निषिद्ध
16(3) अपवाद	निवास शर्त की छूट	संसद विधि द्वारा किसी राज्य या युटी में लोक नियोजन हेतु निवास की शर्त तय कर सकती है (जैसे आंध्र प्रदेश)
16(4) अपवाद	पिछड़े वर्ग आरक्षण	राज्य के अधीन सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व वाले पिछड़े वर्ग हेतु आरक्षण प्रावधान
16(4A) व 16(4B)	पदोन्नति व बैकलॉग	77वाँ संशोधन 1995: (SC/ST) पदोन्नति आरक्षण; 81वाँ संशोधन 2000: रिक्तियों का कैरी-फॉरवर्ड 50% सीमा से बाहर
16(6) 103rd संशोधन	लोक नियोजन (EWS)	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) को सरकारी नौकरियों में अधिकतम 10% आरक्षण

5. इंद्रा साहनी वाद 1992, अनुच्छेद 17 (अस्पृश्यता) एवं अनुच्छेद 18 (उपाधियाँ)

इंद्रा साहनी वाद (मंडल केस 1992 — 9 जज पीठ): कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं; क्रीमी लेयर (Creamy Layer) आरक्षण से बाहर; पदोन्नति में आरक्षण नहीं; पिछड़ा वर्ग आयोग सांविधिक संस्था बने। (राजस्थान में वर्तमान कुल आरक्षण 64% 9वीं अनुसूची व विशेष प्रावधानों के अधीन)।

अनुच्छेद	मूल विषय	संवैधानिक प्रावधान, न्यायिक वाद एवं विधिक प्रभाव
अनुच्छेद 17	अस्पृश्यता का पूर्ण उन्मूलन	अस्पृश्यता का आचरण दंडनीय अपराध; नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 (संशोधन 1976); निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी लागू (PUDR वाद 1982)
अनुच्छेद 18(1)	उपाधियों का अंत	राज्य सैन्य या शैक्षणिक सम्मान के अलावा कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा (रायबहादुर, दीवान बहादुर, महाराजा जैसी उपाधियां समाप्त)
अनुच्छेद 18(2)-(4)	विदेशी उपाधि प्रतिषेध	भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा; विदेशी उपाधि/पद राष्ट्रपति की सहमति बिना वर्जित
राष्ट्रीय पुरस्कार	बालाजी राघवन केस (1996)	भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री उपाधि (Title) नहीं बल्कि अलंकरण हैं; इन्हें नाम के आगे-पीछे जोड़ना निषिद्ध

6. अनुच्छेद 19 — 6 मूल स्वतंत्रताएं एवं व्यक्तियुक्त निर्बंधन

स्वतंत्रता (अनुच्छेद)	संवैधानिक विस्तार एवं अंतर्निहित अधिकार	व्यक्तियुक्त निर्बंधन के संवैधानिक आधार (Reasonable Grounds)
19(1)(a) वाक् व अभिव्यक्ति	विचार प्रकट करने, प्रेस स्वतंत्रता, व्यावसायिक विज्ञापन, जानने का अधिकार (RTI), फोन टैपिंग विरुद्ध अधिकार, मौन रहने का अधिकार	भारत की संप्रभुता-अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मित्रवत संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार/सदाचार, न्यायालय की अवमानना, मानहानि, अपराध उद्दीपन [19(2)]
19(1)(b) शांतिपूर्ण सम्मेलन	शांतिपूर्ण एवं बिना हथियारों के एकत्रित होने व जुलूस निकालने का अधिकार (हड़ताल या तालाबंदी का मूल अधिकार नहीं)	भारत की संप्रभुता एवं अखंडता, लोक व्यवस्था (यातायात नियंत्रण सहित) [19(3)] (सीआरपीसी धारा 144 व आईपीसी 141 के अधीन)
19(1)(c) संगम या संघ	राजनीतिक दल, कंपनी, क्लब, ट्रैड यूनियन, सोसायटी एवं सहकारी समिति (97वाँ संशोधन 2011) गठित करने का अधिकार	भारत की संप्रभुता एवं अखंडता, लोक व्यवस्था, सदाचार [19(4)]
19(1)(d) अबाध संचरण	भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र में सर्वत्र निर्बाध आवागमन का अधिकार (आंतरिक संचरण; विदेश यात्रा अनु. 21 के अधीन)	साधारण जनता के हित में तथा किसी अनुसूचित जनजाति (ST) के हितों के संरक्षण हेतु [19(5)]
19(1)(e) निवास व बसना	भारत के किसी भी भाग में अस्थायी रूप से रहने अथवा स्थायी रूप से बसने का अधिकार	साधारण जनता के हित में तथा अनुसूचित जनजातियों के हितों, संस्कृति व भूमि संरक्षण हेतु [19(5)]
19(1)(g) व्यापार व वृत्ति	कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता (अनैतिक या खतरनाक व्यवसाय का अधिकार नहीं)	साधारण जनता के हित में; आवश्यक तकनीकी अर्हता निर्धारण एवं किसी उद्योग पर राज्य का पूर्ण या आंशिक एकाधिकार (Monopoly) [19(6)]

अनुच्छेद 19(1)(f) में वर्णित संपत्ति के अर्जन, धारण व व्ययन का मूल अधिकार 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा विलोपित कर दिया गया था। अनुच्छेद 19 के अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं।

7. अनुच्छेद 20 — अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण

संवैधानिक सुरक्षा कवच	संवैधानिक प्रावधान एवं न्यायिक सीमाएं (अनुच्छेद 20)
20(1) कार्योत्तर विधि से संरक्षण (No Ex-post Facto Law)	किसी व्यक्ति को केवल उस विधि के उल्लंघन पर दोषी ठहराया जाएगा जो अपराध करते समय प्रवृत्त थी; बाद में बने कानून से पूर्व घटित अपराध हेतु अधिक दंड नहीं दिया जा सकता (केवल आपराधिक कानूनों पर लागू; दीवानी व कर कानूनों पर भूतलक्षी प्रभाव वैध)
20(2) दोहरे दंड से मुक्ति (No Double Jeopardy)	किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा (यह संरक्षण केवल न्यायिक न्यायालयों व विधिक अधिकरणों की कार्यवाही पर लागू है; विभागीय या प्रशासनिक अनुशासनात्मक कार्यवाहियों पर लागू नहीं)
20(3) आत्म-अभिशंसन से मुक्ति (No Self-incrimination)	किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी (गवाह) बनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा (केवल आपराधिक मामलों में लागू; अंगूठे का निशान, हस्ताक्षर, रक्त का नमूना देने पर प्रतिबंध नहीं)
सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य वाद (2010)	सर्वोच्च न्यायालय निर्णय: अभियुक्त की सहमति के बिना नार्को टेस्ट (Narco), पॉलीग्राफ (Polygraph / Lie Detector) तथा ब्रेन मैपिंग (Brain Mapping) परीक्षण कराना अनुच्छेद 20(3) व 21 का प्रत्यक्ष उल्लंघन है

8. अनुच्छेद 21 — न्यायिक व्याख्या का विकास (गोपालन से पुद्गुस्वामी)

न्यायिक वाद / चरण	वर्ष	न्यायिक सिद्धांत एवं अनुच्छेद 21 की क्रांतिकारी व्याख्या
ए.के. गोपालन बनाम मद्रास	1950	‘विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया (Procedure Established by Law)’: संकीर्ण व्याख्या — केवल कार्यपालिका के मनमाने कृत्य से संरक्षण; कानून चाहे अनुचित हो, यदि प्रक्रिया वैध है तो निरोध मान्य
मेनका गांधी बनाम भारत संघ	1978	‘विधि की सम्यक प्रक्रिया (Due Process of Law)’: व्यापक व्याख्या — कानून केवल वैध ही नहीं, बल्कि उचित, निष्पक्ष और न्यायसंगत (Just, Fair and Reasonable) होना अनिवार्य; कार्यपालिका + विधायिका दोनों से संरक्षण
के.एस. पुद्गुस्वामी वाद (9 जज)	2017	निजता का अधिकार (Right to Privacy) अनुच्छेद 21 एवं भाग (III) के तहत स्वाभाविक, अविभाज्य व अंतर्निहित मूल अधिकार घोषित

9. अनुच्छेद 21 के अंतर्निहित अधिकार एवं 21A (शिक्षा का अधिकार)

विस्तारित अधिकार	सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित प्रमुख अंतर्निहित अधिकार (अनुच्छेद 21)
मानवीय गरिमा व आजीविका	गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार (मेनका गांधी); आजीविका का अधिकार (ओल्गा टेलिस केस 1985)
स्वास्थ्य व पर्यावरण संरक्षण	स्वच्छ पर्यावरण व प्रदूषण-मुक्त जल/वायु का अधिकार (एम.सी. मेहता); स्वास्थ्य व चिकित्सा सहायता का अधिकार (परमानंद कटारा)
न्यायिक व मानवीय अधिकार	त्वरित विचारण का अधिकार (हुस्नआरा खातून); निःशुल्क विधिक सहायता (एम.एच. होसकोट); हथकड़ी लगाने व एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार
इच्छामृत्यु व गरिमापूर्ण मृत्यु	कॉमन कॉज वाद (2018): मरणासन्न व्यक्ति को सम्मानपूर्वक मरने का अधिकार; निष्क्रिय इच्छामृत्यु (Passive Euthanasia) व लिविंग विल को विधिक मान्यता

अनुच्छेद 21A आयाम	संवैधानिक प्रावधान एवं विधिक इतिहास (शिक्षा का मूल अधिकार)
संवैधानिक संशोधन	86वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21A अंतःस्थापित किया गया
मूल अधिदेश	राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधि द्वारा विहित रीति से प्रदान करेगा
न्यायिक पृष्ठभूमि	मोहिनी जैन वाद (1992) एवं उन्नीकृष्णन वाद (1993) में सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 में समाहित माना था
संसदीय क्रियान्वयन	निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम 2009 पारित; 1 अप्रैल 2010 से देश भर में लागू

10. अनुच्छेद 22 — गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण (साधारण बनाम निवारक निरोध)

निरोध का प्रकार	संवैधानिक सुरक्षा उपाय एवं विधिक सीमाएं (अनुच्छेद 22)
साधारण दंड विधि अधीन गिरफ्तारी [22(1)-(2)]	तीन अनिवार्य सुरक्षाएं: (1) गिरफ्तारी के आधार जानने का अधिकार, (2) अपनी पसंद के विधि व्यवसायी से परामर्श व प्रतिरक्षा का अधिकार, (3) 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार (यात्रा समय छोड़कर); मजिस्ट्रेट के प्राधिकार बिना अधिक निरोध अवैध
अपवाद [22(3)]	शत्रु विदेशी (Enemy Aliens) तथा निवारक निरोध कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को उपरोक्त तीनों सुरक्षाएं प्राप्त नहीं होतीं
निवारक निरोध (Preventive Detention) [22(4)-(7)]	बिना न्यायिक परीक्षण के केवल अपराध की आशंका पर निरोध; अधिकतम अवधि 3 माह (उच्च न्यायालय के न्यायाधीश स्तर के सलाहकार बोर्ड की संस्तुति बिना 3 माह से अधिक निरोध नहीं); निरोध के आधार सूचित करना (लोकहित में तथ्य रोके जा सकते हैं); आदेश विरुद्ध अभ्यावेदन का शीघ्र अवसर
44वाँ संशोधन 1978 की स्थिति	परामर्श बोर्ड की रिपोर्ट बिना निरोध की अधिकतम अवधि 3 माह से घटाकर 2 माह करने का प्रावधान किया गया था, किंतु यह प्रावधान आज तक लागू (अधिसूचित) नहीं किया गया

निवारक निरोध (Preventive Detention): भारत विश्व का एकमात्र ऐसा लोकतांत्रिक देश है जहाँ शांतिकाल में भी संविधान के मूल अधिकारों के भाग में निवारक निरोध का स्पष्ट प्रावधान है (अनु. 22(4)-(7))।

11. शोषण के विरुद्ध अधिकार — अनुच्छेद 23 एवं 24

अनुच्छेद	मूल प्रतिषेध	संवैधानिक प्रावधान, अधिनियम एवं अपवाद
अनुच्छेद 23(1)	मानव दुर्व्यापार व बेगार प्रतिषेध	मानव तस्करी, बेगार तथा किसी भी रूप में बलात् श्रम (Forced Labour) निषिद्ध व दंडनीय; बंधुआ श्रम पद्धति (उन्मूलन) अधिनियम 1976, अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956
अनुच्छेद 23(2) अपवाद	राज्य की अनिवार्य सेवा	राज्य सार्वजनिक प्रयोजनों (सैन्य/नागरिक सेवा) हेतु अनिवार्य सेवा आरोपित कर सकता है; ऐसी सेवा में धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा
अनुच्छेद 24	बाल श्रम का पूर्ण प्रतिषेध	14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने, खान या अन्य परिसंकटमय नियोजन (Hazardous Employment) में नियोजित नहीं किया जाएगा
बाल श्रम संशोधन (2016)	विस्तारित प्रतिबंध ढांचा	बाल श्रम (निषेध व विनियमन) संशोधन 2016: 14 वर्ष से कम बालकों के सभी व्यवसायों में नियोजन पर पूर्ण रोक; 14 से 18 वर्ष के किशोरों हेतु परिसंकटमय व्यवसायों में प्रतिबंध

12. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार — अनुच्छेद 25 से 28

अनुच्छेद	धार्मिक स्वतंत्रता का आयाम	संवैधानिक विषय-वस्तु एवं युक्तियुक्त सीमाएं
अनुच्छेद 25(1)	अंतःकरण व धर्म की स्वतंत्रता	सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक (धर्मांतरण कराने का मूल अधिकार नहीं); सीमाएं: लोक व्यवस्था, सदाचार व स्वास्थ्य
अनुच्छेद 25(2) स्पष्टीकरण	सिख कृपाण व 'हिंदू' परिभाषा	स्पष्टीकरण 1: सिखों द्वारा कृपाण धारण करना व लेकर चलना धार्मिक अंग मान्य; स्पष्टीकरण 2: हिंदुओं के धार्मिक संदर्भ में सिख, जैन एवं बौद्ध धर्मावलंबी सम्मिलित
अनुच्छेद 26	धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता	धार्मिक संप्रदाय (Religious Denominations) को 4 अधिकार: (1) धार्मिक व पूर्त संस्थाओं की स्थापना/पोषण, (2) धर्म विषयक कार्यों का स्वयं प्रबंध, (3) संपत्ति का अर्जन व स्वामित्व, (4) विधि अनुसार प्रशासन
अनुच्छेद 27	धर्म की अभिवृद्धि हेतु कर मुक्ति	किसी विशिष्ट धर्म या संप्रदाय के संवर्धन हेतु राज्य किसी नागरिक को कर (Tax) देने हेतु विवश नहीं कर सकता; कर निषिद्ध है, किंतु तीर्थयात्रियों की सुविधा/सेवाओं हेतु शुल्क (Fee) लगाना पूर्णतः वैध
अनुच्छेद 28	शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा	राज्य-निधि से पूर्णतः पोषित संस्थाओं में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी; राज्य मान्यता प्राप्त या सहायता प्राप्त संस्थाओं में उपस्थित होने वाले व्यक्ति की सहमति के बिना धार्मिक शिक्षा/उपासना बाध्यकारी नहीं

संस्था की श्रेणी (अनुच्छेद 28)	धार्मिक शिक्षा की संवैधानिक स्थिति
1. राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित संस्थाएं	धार्मिक शिक्षा पूर्णतः निषिद्ध (Completely Prohibited)
2. राज्य द्वारा प्रशासित किंतु किसी न्यास अधीन	धार्मिक शिक्षा अनुमत (Permitted — जैसे कोई धार्मिक ट्रस्ट की संस्था)
3. राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाएं	स्वैच्छिक (Voluntary) — छात्र या संरक्षक की सहमति आवश्यक
4. राज्य से वित्तीय सहायता प्राप्त संस्थाएं	स्वैच्छिक (Voluntary) — छात्र या संरक्षक की सहमति आवश्यक

धर्मांतरण की स्थिति: रेवरेंड स्टेनिसलास वाद (1977) में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 25 में 'धर्म के प्रचार' का अर्थ किसी अन्य व्यक्ति को अपने धर्म में परिवर्तित (Convert) कराने का मूल अधिकार नहीं है।

13. संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार — अनुच्छेद 29 एवं 30

अनुच्छेद	अल्पसंख्यक अधिकार आयाम	संवैधानिक प्रावधान एवं न्यायिक सिद्धांत
अनुच्छेद 29(1)	विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति संरक्षण	भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग (Section of Citizens) को अपनी बोली, भाषा, लिपि या संस्कृति सुरक्षित रखने का अधिकार (केवल अल्पसंख्यकों तक सीमित नहीं)
अनुच्छेद 29(2)	शिक्षण संस्थानों में भेदभाव निषेध	राज्य द्वारा पोषित या राज्य-निधि से सहायता पाने वाले किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश से केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा
अनुच्छेद 30(1)	अल्पसंख्यकों की संस्था स्थापना	धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यकों (धार्मिक एवं भाषायी) को अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं उनके प्रशासन का अनन्य अधिकार
अनुच्छेद 30(1A) 44th संशोधन	अनिवार्य संपत्ति अर्जन गारंटी	राज्य द्वारा अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान की संपत्ति का अनिवार्य अर्जन करने पर निर्धारित क्षतिपूर्ति ऐसी होगी जो उनके अधिकार को निर्बाधित न करे
अनुच्छेद 30(2)	राज्य सहायता में समता	शिक्षण संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी संस्था के विरुद्ध इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वह धार्मिक/भाषायी अल्पसंख्यक के प्रबंध में है
टी.एम.ए. पाई फाउंडेशन (2002)	अल्पसंख्यक निर्धारण का पैमाना	धार्मिक व भाषायी अल्पसंख्यक का निर्धारण राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, बल्कि राज्य की जनसंख्या (State Population) के आधार पर किया जाएगा; राज्य शैक्षणिक मानक नियमन कर सकता है

14. संपत्ति के अधिकार की यात्रा (अनु. 300A) एवं रक्षात्मक उपबंध (अनु. 31A, 31B, 31C)

ऐतिहासिक चरण / संशोधन	संवैधानिक स्थिति एवं विधिक स्वरूप
मूल संवैधानिक स्थिति (1950)	अनुच्छेद 19(1)(f) (संपत्ति अर्जन, धारण व व्ययन) तथा अनुच्छेद 31 (विधि के प्राधिकार बिना संपत्ति से वंचित न करना) के तहत मूल अधिकार
44वाँ संशोधन अधिनियम 1978	संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से पूर्णतः विलोपित किया गया; भाग (XII) के अध्याय (IV) में नया अनुच्छेद 300A जोड़ा गया
वर्तमान विधिक स्थिति (अनु. 300A)	'विधि के प्राधिकार के बिना किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा' — यह एक विधिक/संवैधानिक अधिकार (Legal/Constitutional Right) है, मूल अधिकार नहीं
व्यावहारिक अंतर	उल्लंघन पर सीधे अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय नहीं जाया जा सकता (अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में रिट याचिका संभव)

रक्षात्मक अनुच्छेद	संशोधन	संरक्षण का स्वरूप एवं न्यायिक समीक्षा की सीमाएं
अनुच्छेद 31A	1st संशोधन 1951	जमींदारी उन्मूलन, संपदाओं (Estates) के राज्य द्वारा अर्जन, निगमों के सम्मेलन आदि से संबंधित 5 श्रेणियों की विधियों को अनुच्छेद 14 व 19 के उल्लंघन के आधार पर चुनौती से संरक्षण
अनुच्छेद 31B	1st संशोधन 1951	9वीं अनुसूची (Ninth Schedule) में शामिल किसी भी अधिनियम को मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर शून्य घोषित नहीं किया जा सकता (व्यापक सुरक्षा कवच)
आई.आर. कोएल्हो वाद (2007)	9 जज ऐतिहासिक पीठ	सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय: 24 अप्रैल 1973 (केशवानंद भारती फैसला) के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल सभी कानून न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के अधीन हैं (मूल संरचना परीक्षण)
अनुच्छेद 31C	25th संशोधन 1971	अनुच्छेद 39(b) और 39(c) के नीति निदेशक तत्वों को लागू करने वाली विधियों को अनु. 14 व 19 के उल्लंघन पर अवैध नहीं ठहराया जाएगा; मिन्वा मिल्स (1980): 42वें संशोधन का असीमित विस्तार निरस्त

15. अनुच्छेद 32 (संवैधानिक उपचारों का अधिकार) एवं 5 संवैधानिक रिटें

अनुच्छेद 32 — ‘संविधान का हृदय और आत्मा (Heart and Soul of the Constitution — डॉ. अंबेडकर): यह स्वयं में एक मूल अधिकार है जो भाग (III) के अधिकारों के प्रवर्तन हेतु सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों का रक्षक व गारंटर (Protector and Guarantor) है।

रिट का नाम (लैटिन नाम)	शाब्दिक अर्थ	जारी करने का उद्देश्य, परिस्थितियां एवं किसके विरुद्ध जारी (अनुच्छेद 32 व 226)
1. बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)	'शरीर प्रस्तुत करो (To have the body of)'	अवैध रूप से बंदी बनाए गए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश; निरोध की वैधता की जांच; सार्वजनिक प्राधिकारी एवं निजी व्यक्ति (Private Individual) दोनों के विरुद्ध जारी
2. परमादेश (Mandamus)	'हम आज्ञा देते हैं (We command)'	सार्वजनिक अधिकारी या संस्था को उसके विधिक/संवैधानिक कर्तव्य के पालन का आदेश; केवल सार्वजनिक कर्तव्यों पर लागू; भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल तथा निजी व्यक्तियों के विरुद्ध जारी नहीं
3. प्रतिषेध (Prohibition)	'प्रतिषेध करना / रोकना (To forbid)'	उच्चतर न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या अर्ध-न्यायिक अधिकरण को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकने हेतु जारी (कार्यवाही के दौरान; शुद्ध रूप से निवारक / Preventive)
4. उत्प्रेषण (Certiorari)	'पूर्णतया सूचित होना (To be certified)'	अधीनस्थ न्यायालय/अधिकरण के आदेश को अधिकांशतः के अभाव, अतिरिक्त या प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन पर निरस्त (Quash) करने हेतु जारी (निवारक एवं उपचारात्मक / Curative दोनों)
5. अधिकार पृच्छा (Quo-Warranto)	'किस प्राधिकार से (By what authority)'	सार्वजनिक पद पर किसी व्यक्ति के अवैध दावे की जांच; अनाधिकृत व्यक्ति को पद से हटाना; कोई भी नागरिक (पीड़ित होना आवश्यक नहीं) याचिका दायर कर सकता है

तुलनात्मक आधार	सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32)	उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 226)
संवैधानिक प्रकृति	अनुच्छेद 32 स्वयं में एक मूल अधिकार है; SC रिट जारी करने से इनकार नहीं कर सकता	अनुच्छेद 226 एक संवैधानिक अधिकार है; उच्च न्यायालय का विवेकाधिकार (Discretionary) है
अधिकार क्षेत्र का दायरा	केवल मूल अधिकारों (Fundamental Rights) के प्रवर्तन हेतु रिट जारी कर सकता है (संकीर्ण)	मूल अधिकारों के साथ-साथ अन्य किसी विधिक अधिकार (Other Legal Purpose) हेतु भी (व्यापक)
प्रादेशिक क्षेत्राधिकार	संपूर्ण भारत राज्यक्षेत्र में किसी भी प्राधिकारी के विरुद्ध रिट जारी करने की शक्ति	केवल अपने संबंधित राज्य राज्यक्षेत्र या जहाँ वाद हेतुक (Cause of Action) उत्पन्न हुआ हो

16. विशेष उपबंध — अनुच्छेद 33, 34 एवं 35 (संसद की अनन्य विधायी शक्तियां)

अनुच्छेद	मूल विषय	संवैधानिक प्रावधान एवं संसद की अनन्य शक्तियाँ
अनुच्छेद 33	सशस्त्र बलों के मूल अधिकार	संसद विधि द्वारा सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस, आसूचना ब्यूरो (IB/RAW) एवं टेलीकॉम कर्मियों के मूल अधिकारों को सीमित या समाप्त कर सकती है (कोर्ट मार्शल अनु. 32/226 से मुक्त)
अनुच्छेद 34	मार्शल लॉ एवं मूल अधिकार	जब किसी क्षेत्र में सेना विधि (Martial Law) प्रवृत्त हो, तब संसद विधि द्वारा व्यवस्था बनाए रखने वाले अधिकारियों के कृत्यों को क्षतिपूर्ति (Act of Indemnity) दे सकती है
अनुच्छेद 35	मूल अधिकारों पर विधि निर्माण	मूल अधिकारों (अनु. 16(3), 32(3), 33, 34 तथा अनु. 17 व 23 के दंड) को प्रभावी करने की विधि निर्माण शक्ति केवल संसद को है, राज्य विधानमंडलों को नहीं

17. आपातकाल में मूल अधिकारों का निलंबन (अनुच्छेद 358 बनाम 359)

तुलनात्मक आधार	अनुच्छेद 358 (अनुच्छेद 19 का स्वतः निलंबन)	अनुच्छेद 359 (अन्य मूल अधिकारों का निलंबन)
निलंबन का विषय	केवल अनुच्छेद 19 में वर्णित 6 स्वतंत्रताओं का स्वतः निलंबन	राष्ट्रपति आदेश में विनिर्दिष्ट मूल अधिकारों के न्यायालयी प्रवर्तन का निलंबन
लागू होने का आधार	केवल युद्ध या बाह्य आक्रमण (External Emergency) के आधार पर; सशस्त्र विद्रोह में नहीं	युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह (Internal Emergency) दोनों आधारों पर
अवधि व विस्तार	आपातकाल की संपूर्ण अवधि हेतु संपूर्ण देश में स्वतः निलंबित	राष्ट्रपति आदेश में उल्लिखित अवधि व उल्लिखित राज्यक्षेत्र तक सीमित
अनुलंघनीय अपवाद	अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित	44वें संशोधन 1978 के बाद: अनुच्छेद 20 एवं 21 को कभी निलंबित नहीं किया जा सकता

18. मूल अधिकारों का नागरिक वर्गीकरण एवं अनुच्छेद 12-35 मास्टर संदर्भ

नागरिक स्थिति	उपलब्ध अनुच्छेद	संवैधानिक विवरण एवं सीमाएं
केवल भारतीय नागरिकों को	अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30	5 अनुच्छेद: भेदभाव निषेध, अवसर समता, 6 स्वतंत्रताएं, अल्पसंख्यक भाषा/संस्कृति, शिक्षण संस्थान
सभी व्यक्तियों को प्राप्त	अनुच्छेद 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28	11 अनुच्छेद: नागरिकों के साथ विदेशियों (विधिक व्यक्तियों/कंपनियों सहित) को उपलब्ध (शत्रु विदेशी को 22 प्राप्त नहीं)

अनु.	अधिकार / विषय	अनु.	अधिकार / विषय
12	'राज्य' की संवैधानिक परिभाषा	24	कारखानों में बाल श्रम का प्रतिषेध
13	मूल अधिकारों से असंगत विधियां शून्य	25	अंतःकरण व धर्म की स्वतंत्रता
14	विधि समक्ष समता व समान संरक्षण	26	धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता
15	धर्म, जाति, लिंग आधार पर भेदभाव अंत	27	धर्म की अभिवृद्धि हेतु कर मुक्ति
16	लोक नियोजन में अवसर की समता	28	शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा
17	अस्पृश्यता का पूर्ण उन्मूलन व दंड	29	अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण
18	उपाधियों का अंत (सैन्य/शिक्षा छूट)	30	अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थान
19	वाक्, सम्मेलन आदि 6 स्वतंत्रताएं	31	संपत्ति अधिकार (44वें संशोधन द्वारा विलोपित)
20	अपराध दोषसिद्धि संरक्षण (3 कवच)	32	संवैधानिक उपचार (5 रिट क्षेत्राधिकार)
21	प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार	33	सशस्त्र बलों के अधिकारों पर संसद शक्ति
21A	6 से 14 वर्ष निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा	34	मार्शल लॉ लागू होने पर प्रतिबंध
22	गिरफ्तारी व निवारक निरोध संरक्षण	35	मूल अधिकारों को प्रभावी करने की विधि